भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5582
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति का प्रभाव

5582. **श्री नवीन जिंदल :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मिशन शक्ति के प्रभाव, विशेषकर हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता सेवाएं प्रदान करने में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) से लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है तथा इस पहल के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता की प्रमुख श्रेणियां क्या हैं;
(ग) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक जन्म के समय लड़कियों के लिंग अनुपात (एसआरबी) में कितनी वृद्धि हुई है और माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार लाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने सखी निवास/पालना जैसे आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो उनके विस्तार का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(ङ) मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को और कम करने, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण-2.0 के बुनियादी ढांचे और पहुंच को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन में वन स्टॉप सेंटर सहित विभिन्न योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थायित्व को संतोषजनक पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए "सामर्थ्य" नामक दो उप-योजनाएं हैं ।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) 'संबल' उप-योजना का एक घटक है जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। अब तक, देश भर में 818 ओएससी कार्यशील हैं और अप्रैल, 2015 में स्थापना के बाद से 28.02.2025 तक 10.98 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 'संबल' उप-योजना का एक घटक है, जो आपातकालीन और गैर-आपातकालीन जरूरतों के लिए महिलाओं को एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर (181) के माध्यम से 24 घंटे टेलीफोन सहायता प्रदान करता है और अप्रैल, 2015 में इसकी स्थापना के बाद से 28.02.2025 तक इसके द्वारा 85.32 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

मंत्रालय मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी भी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सामयिक क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षा करते हैं।

(ग): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना सभी हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता परिवर्तन एवं व्यवहार परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।

सरकारी एजेंसियों, मीडिया, सिविल सोसायटी और सामान्य लोगों सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके बीबीबीपी एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंगानुपात और जेंडर आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक समस्याओं को दूर करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने तथा उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की रिपोर्ट के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है, जिसमें 12 अंकों की निवल वृद्धि हुई है। इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (2014-15) में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर (2023-24) में 78 प्रतिशत हो गया है [यूडीआईएसई-आंकड़ा,शिक्षा मंत्रालय]।

(घ): मिशन शक्ति के तहत 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है और इसमें शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) के घटक/योजनाएं शामिल हैं।

सामर्थ्य उप-योजना के तहत **सखी निवास** का उद्देश्य, जिन शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करना, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और ज्ञान-संबंधी विकास, शारीरिक विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो। पालना घटक के तहत स्टैंडअलोन क्रेच और आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) दो प्रकार के क्रेच हैं।

मंत्रालय ने आंगनवाड़- सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखरेख की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बाल देखरेख सहायता सुनिश्चित होगी और सुरक्षित वातावरण में उनकी कल्याण सुनिश्चित होगा। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। अब तक, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 11395 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी गई है और इनमें से पूरे देश में 1761 एडब्ल्यूसीसी कार्यशील हैं।

पालना और सखी निवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को जारी निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

योजना	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
पालना	4.68	64.15	45.17
सखी निवास	17.63	4.52	8.13

(ड.): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) जैसी पहल सशर्त नकद अंतरण के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, जबकि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भवती महिलाओं के लिए परिवहन, दवाइयां, निदान और आहार के साथ-साथ सी-सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है, साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की अतिरिक्त ट्रैकिंग भी करता है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) मातृ और नवजात मृत्यु को रोकने के लिए सम्मानजनक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देता है, और 'लक्ष्य' का उद्देश्य प्रसव कक्षों तथा प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखरेख की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) पोषण सहित मातृ और शिशु देखरेख प्रदान करते हैं, जबकि आउटरीच शिविर आदिवासी और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। भारत के महा पंजीयक के अनुसार, भारत की एमएमआर 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ तालमेल बिठाते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड को 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित करके 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है। यह लागत केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में साझा की जाएगी।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए वित्त पोषण बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सुदृढ़ किया जा रहा है और उन्हें मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री इत्यादि शामिल हैं।

******